फर्द अहकाम

सीताराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

संख्याः 110 / 2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.05.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादीगण क्रमशः जयपुर विकास प्राधिकरण एवं तहसीलदार सांगानेर की ओर से प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अपने जवाब में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली में बहस उभयपक्षकारान अधिवक्तागण सुनी गई। दौहराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने वाद मे अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि वाके ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, पटवार हल्का भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 102 गैर मुमकिन आवासीय भूखण्ड संख्या ई–12, 13 में से प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 92, 93 रकबा 0.27 है0 में आने जाने के लिए संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शित रास्ते के अनुसार राजस्व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करवसाने की कृपा करावे। बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	